

एवं पथरगामा थाना में बिना देख-भाल का पड़ा हुआ है। अतः जप्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध रूप से बालू प्रशंगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है एवं जप्त कर पथरगामा थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का जप्त 1. वाहन निबंधन सं०-JH04X-0239 एवं 2. वाहन निबंधन सं०-NL01AA-7436, को बालू चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। जप्ती के समय विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे बालू के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन के द्वारा अवैध ढंग से बालू का परिवहन किया जा रहा था। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मूल्य	खनिज का दोगुनी राशि	संलिप्तता के आधार पर अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
JH04X-0239	01	900	36000.00	72000.00	50000.00	122000.00
NL01AA-7436	00	900	36000.00	72000.00	00	72000.00

एवं दो-दो लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक-एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त 1. वाहन निबंधन सं०-JH04X-0239 एवं 2. वाहन निबंधन सं०-NL01AA-7436, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

- जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
- वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।

2. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाइल नं० अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो-दो लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा एक-एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे बालू को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा

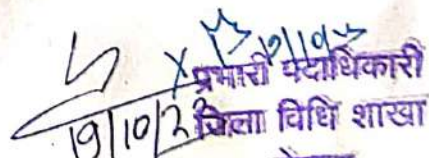

उपायुक्त
गोड्डा

सहायक पदाधिकारी, गोड्डा
जिला विधि शाखा, गोड्डा

सी० नं०:- 164

दि:- 19.10.23

प्रतिलिपि:- जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा
मुख्य अफसर, गोड्डा कट
मुख्यालय एवं सहायक कट
हनु जिला


प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
गोड्डा
19.10.23